Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **श्रीगंगानगर में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के दो कार्मिक 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *23 जून*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आज गुरूवार को श्रीगंगानगर में कार्यवाही करते हुये संदीप कुमार कनिष्ठ सहायक एवं पंकज कुमार वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की हनुमानगढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी हाल ही में हुई लैब टेक्निशियन पर नवनियुक्ति के पश्चात् नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापन करने की एवज में पंकज कुमार वरिष्ठ सहायक व संदीप कुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के लिये 30 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की हनुमानगढ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तेजपाल सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री सुभाषचन्द्र एवं उनकी टीम द्वारा श्रीगंगानगर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये संदीप कुमार पुत्र श्री हेतराम निवासी मकान नं0 464, होमलैण्ड सिटी फर्स्ट, श्रीगंगानगर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण में पंकज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद निवासी 4/30, सिविल लाइन, श्रीगंगानगर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।